

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 700767 / 16

संस्थापन दिनांक : 06.12.2016

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—ज्ञानसिंह पुत्र दीनानाथ गुर्जर उम्र 30 साल
2—राजा गुर्जर पुत्र जगदीशसिंह गुर्जर उम्र 32 साल
3—जयवीर पुत्र सुरेन्द्रसिंह गुर्जर उम्र 29 साल
निवासीगण ग्राम लटकनपुरा थाना मालनपुर जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा.द.स. की धारा 294, 341, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 327/34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.11.16 को 09:45 बजे लटकनपुरा तिराहा भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर भूरेसिंह अ0सा01 से उद्घापन कारित करने के आशय से सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की।
2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.11.16 को फरियादी भूरेसिंह अ0सा01 अपनी बस क्रमांक एम.पी.-07-पी.1202 को लेकर एण्डोरी से ग्वालियर जा रहा था जैसे ही वह समय करीब 8:45 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड लटकनपुरा तिराहा पर आया तो लटकनपुरा निवासी आरोपी ज्ञानसिंह गुर्जर, राजा गुर्जर जयवीर गुर्जर जिन्हें वह पूर्व से जानता था, ने बस के आगे आकर बस रोक ली और बस में चढ़कर तीनों आरोपीगण ने उससे शराब

पीने के लिए पांच-पांच सौ रुपये मांगे जब उसने रुपये देने से मना किया तो तीनों आरोपीगण ने उसे अश्लील गालियां दी तथा गाली देने से मना करने पर तीनों आरोपीगण ने उसे बस से खींचकर रोड पर पटककर लात घूसों से उसकी मारपीट की जिससे उसके शरीर में जगह-जगह मूंदी चोट आई तब ड्राइवर भानु जाटव व सवारी संजय ने उसे बचाया। तत्पश्चात फरियादी भूरेहि अ0सा01 ने थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध अप0क्र0 199/16 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या दिनांक 11.11.16 को 09:45 बजे लटकनपुरा तिराहा भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर भूरेसिंह अ0सा01 से उद्यापन कारित करने के आशय से सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. भूरेसिंह अ0सा01 का कथन है कि एक माह पूर्व सुबह 9 बजे बस क्रमांक एम.पी.-07-पी.1202 जिस पर वह कन्डक्टर है और एण्डोरी से ग्वालियर चलती है, को वह ग्वालियर लेकर जा रहा था। जब वह लटकनपुरा के पास पहुंचा तब 2-3 लड़के बस में चढ़े जो मां-बहन की गालियां देने लगे और उसकी रोड पर पटककर लात घूसों से मारपीट की जिसकी रिपोर्ट प्र0पी-1 उसने थाना मालनपुर में की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 11.11.16 को आरोपीगण ज्ञानसिंह, राजा और जयवीर ने उससे पांच सौ रुपये शराब के लिए मांगे और न देने पर मारपीट की और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

6. अतः प्रकरण में फरियादी भूरे अ0सा01 जोकि महत्वपूर्ण साक्षी है, ने उद्यापन के अपराध के संबंध में तथ्यों से इंकार किया है और स्वेच्छा उपहति के संबंध में उभयपक्ष के मध्य शमन हो गया है। भूरे अ0सा01 ने उपहति की घटना भी आरोपीगण द्वारा घटित किए जाने से इंकार किया है अतः स्वयं फरियादी व आहत भूरे अ0सा01 द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 11.11.16 को 09:45 बजे लटकनपुरा तिराहा भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर भूरेसिंह अ0सा01 से उद्यापन कारित करने के आशय से सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट

कर स्वेच्छा उपहति कारित की।

7. परिणामतः आरोपीगण को धारा 327/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0